पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट-सं0-133
दिनांक-15.01.2025

जोन-पश्चिमी/ थाना–रहीमाबाद

- **अवैध कच्ची शराब की बिक्री करने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरण:

श्रीमान पुलिस आयुक्त, लखनऊ महोदय के द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग व अपराधियों पर सतर्क दृष्टि रखने एवं पूर्व में घटित घटनाओं का अनावरण किये जाने तथा वाँछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दिये गये आदेशों-निर्देशों के अनुपालन में पुलिस उपायुक्त (पश्चिमी) लखनऊ के आदेशानुसार एवं अपर पुलिस उपायुक्त (प0) के पर्यवेक्षण में तथा सहायक पुलिस आयुक्त मलिहाबाद के निर्देशानुसार थाना रहीमाबाद पुलिस टीम आज दिनांक 15.01.2025 को अवैध शराब बनाने व बिक्री करने वालो के विरुद्ध अभियान में ग्राम रहटा में चेकिंग में मामूर थे कि जारिये मुखबिर खास से सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो ग्राम कैथुलिया मोड़ से कैथुलिया गांव जाने वाली सड़क पर(गहदो रोड से) के पास अवैध कच्ची देशी शराब बेच रहा था।

मुखबिर खास की सूचना पर को एक अदद प्लास्टिक की पिपिया में करीब 10 ली0 अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया तथा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 11/2025 धारा 60 Ex Act पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

02-नाम व पता अभियुक्त

01-रामभजन पुत्र रज्जू निवासी ग्राम अहिण्डर थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ उम्र 43 वर्ष

03-बरामदगी का विवरण

अभियुक्त से बरामद 01 अदद प्लास्टिक की पिपिया में करीब 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद होना।

04-पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 11/2025 धारा 60 Ex Act थाना रहीमाबाद

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

1-उ0नि0 श्री उमेश यादव थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ।

2.आरक्षी मंजीत सिंह थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ।

3.आरक्षी अरून वन थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट-सं0-136
दिनांक-15.01.2025

जोन-दक्षिणी/ थाना-निगोंहा

- **अवैध कच्ची शराब की बिक्री करने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 14.01.2025 को अवैध कच्ची शराब के अभियान के तहत थाना स्थानीय से उ0नि0 श्री कुलदीप कुमार यादव मय हमराह का0 सचिन कुमार व का0 मुकेश बाबू को थाना हाजा से रवाना होकर क्षेत्र में मामूर थे कि जरिये मुखबिर सूचना की मिली कि एक व्यक्ति सई नदी से रंजीतखेड़ा गाँव के तिराहे की ओर आने वाले कच्चे रास्ते पर हाथ में सफेद रंग की पिपिया में कच्ची शराब लेकर जा रहा है।

मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंचे तो सामने से आता हुआ एक व्यक्ति जिसके हाथ में सफेद रंग की पिपिया था। उक्त व्यक्ति को पुलिस वालों ने एकदम घेर घारकर ग्राम रंजीतखेड़ा तिराहे पर पकड़ लिया।

पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता पूछते हुये जामा तलाशी ली गयी तो इसने अपना नाम सूरज रावत पुत्र शंकर रावत निवासी जमादारखेड़ा थाना निगोहां लखनऊ उम्र करीब 24 वर्ष बताया जामा तलाशी में उस व्यक्ति के हाथ से एक अदद पिपिया में 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद करते हुए, अभि0 उपरोक्त को उनके जुर्म धारा से अवगत कराकर मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों निर्देशों का पालन करते हुए मौके से गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 08/2025, धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

02-बरामदगी –

- 01 पिपिया में 20 ली कच्ची अवैध शराब।

03-अभियुक्त का नाम –

1. सूरज रावत पुत्र शंकर रावत निवासी जमादारखेड़ा थाना निगोहां लखनऊ उम्र करीब 24 वर्ष

04-पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 08/2025, धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना निगोहां लखनऊ

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री कुलदीप कुमार यादव थाना निगोहाँ कमिश्नरेट लखनऊ,
2. का0 सचिन कुमार थाना निगोहाँ कमिश्नरेट लखनऊ।
3. का0 मुकेश बाबू थाना निगोहाँ कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट-सं0-137
दिनांक-15.01.2025

जोन-दक्षिणी/ थाना-निगोंहा

- **वादिनी की पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले जाने का आरोपी अभियुक्त किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 13.01.2025 को वादिनी मुकदमा की लिखित तहरीरी सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर वादिनी की पुत्री उम्र करीब 16 वर्ष को अभियुक्त विनायक द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध मु0अ0सं0 005/2025 धारा 87/137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। **जिसमें दिनांक 14.01.2025 को थाना निगोहाँ पुलिस द्वारा पीड़िता / अपहर्ता को बरामद किया गया है।**

आज दिनांक 15.01.2025 को उ0नि0 श्री राजेश कुमार दीक्षित मय हमराह का0 रोहित कुमार के थाना हाजा से रवाना होकर देखभाल क्षेत्र, जांच प्रार्थना पत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति व तलाश वांछित अपराधी संबंधित मु0अ0सं0- 005/2025 धारा-87/137(2) बीएनएस की तलाश पतारसी सुरागरसी में मदापुर तिराहा पर मौजूद थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि आपके मुकदमें से संबंधित अभियुक्त विनायक इस समय मदारीखेड़ा से गरीब खेड़ा की तरफ कच्चे मार्ग से पैदल कहीं जाने की फिराक में है यदि जल्दी किया जाये तो पकड़ा जा सकता है।

इस सूचना पर उ0नि0 श्री राजेश कुमार दीक्षित मय हमराही के मौके पर पहुँचे तो वह व्यक्ति पुलिस वालों को देखकर भागने का प्रयास करने लगा कि एक बारगी दबिश देकर अभियुक्त को मौके पर ही पकड़ लिया गया जिससे नाम पता पूछा गया तो बताया कि मेरा नाम विनायक पुत्र जगदीश निवासी ग्राम गरीबखेड़ा मजरा भट्ठी सिर्स थाना निगोहाँ लखनऊ है।

जिसको उसके जुर्म धारा से अवगत कराते हुए मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों निर्देशों का पालन करते हुए मदारीखेड़ा से गरीबखेड़ा मार्ग पर ट्यूबवेल के पास से हिरासत पुलिस में लेकर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा जा रहा है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. विनायक पुत्र जगदीश निवासी ग्राम गरीबखेड़ा मजरा भट्ठी सिर्स थाना निगोहाँ लखनऊ उम्र करीब 23 वर्ष। (मजदूरी)

03-पंजीकृत अभियोग-

1.मु0अ0सं0 005/2025 धारा 87/137(2) थाना निगोहाँ जनपद लखनऊ।

04-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 राजेश कुमार दीक्षित थाना निगोहाँ कमिश्नरेट लखनऊ ,
2. का0 रोहित कुमार थाना निगोहाँ कमिश्नरेट लखनऊ
3. म0का0 मधुरानी शर्मा थाना निगोहाँ कमिश्नरेट लखऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-131
दिनांक-15.01.2025

जोन- पश्चिमी/ थाना- मलिहाबाद

- **महिला से दुष्कर्म करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।**

01-सक्षिप्त विवरण-

दिनांक 13.01.2025 को वादी मुकदमा की पत्नी के साथ अभियुक्त ज्ञानेन्द्र पुत्र रामप्रकाश निवासी ग्राम किठाईपारा थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ द्वारा दुष्कर्म करने की सूचना पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 007/2025 धारा 64(1)/115(2)/351(2)बीएनएस पंजीकृत किया गया था ।

उक्त मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त की पतारसी सुरागरसी हेतु थाना मलिहाबाद पुलिस टीम क्षेत्र में मामूर थे कि मुखबिर खास की सूचना प्राप्त हुयी मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त ज्ञानेन्द्र उपरोक्त नबीपनाह चौराहा पर कही जाने की फिराक में खडा है। जिसे कारण गिरफ्तारी से अवगत कराते हुये अभियुक्त 1. ज्ञानेन्द्र पुत्र रामप्रकाश निवासी ग्राम किठाईपारा थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ उम्र करीब 28 वर्ष को दिनांक 14.01.2024 को किया गया गिरफ्तार तथा अभियुक्त ज्ञानेन्द्र उपरोक्त को न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा जा रहा है ।

02-अपराध का उद्देशय:-

अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा की पत्नी के साथ दुष्कर्म करना ।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. ज्ञानेन्द्र पुत्र रामप्रकाश निवासी ग्राम किठाईपारा थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ उम्र करीब 28 वर्ष

04-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

1.प्रभारी निरीक्षक श्री सतीश चन्द्र साहू
2.अति निरीक्षक श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्रा
3.का0 धनंजय कुमार

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-134
दिनांक-15.01.2025

जोन- पश्चिमी/ थाना- मलिहाबाद

- **स्वंय की पत्नी को दहेज की मांग करते हुए प्रताडित कर हत्या करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **थाना मलिहाबाद पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 13.01.2025 को सुरसालीजनों द्वारा वादी मुकदमा अर्जुन रावत पुत्र स्व0 सिंगरू रावत नवासी ग्राम जुमिनया थाना अतरौली हरदोई की नातिन मृतक वन्दना रावत को दहेज की माँग करते हुये प्रताडित करना व हत्या कर देने की सूचना पर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0-009/2025 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया था ।**

उक्त मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त की पतारसी सुरागरसी हेतु थाना मलिहाबाद पुलिस टीम क्षेत्र में मामूर थे कि मुखबिर खास की सूचना प्राप्त हुयी मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त उपरोक्त शीतलन मन्दिर कस्बा व मलिहाबाद लखनऊ मे कही जाने की फिराक में खडा है।

जिसे कारण गिरफ्तारी से अवगत कराते हुये अभियुक्त 01. प्रदीप रावत पुत्र राजकुमार रावत निवासी ग्राम कुन्डरा खुर्द थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ उम्र करीब 24 वर्ष को दिनांक 14.01.2025 को किया गया गिरफ्तार तथा अभियुक्त प्रदीप रावत उपरोक्त को न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा जा रहा है।

02-अपराध का तरीका /उद्देशय:-

अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा की नातिन से दहेज की माँग करते हुये प्रताडित करना व हत्या कर देना ।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

01-प्रदीप रावत पुत्र राजकुमार रावत निवासी ग्राम कुन्डरा खुर्द थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ उम्र करीब 24 वर्ष

04-पंजीकृत अभियोग-

01-मु0अ0सं0-09/2025 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट थाना- मलिहाबाद

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम थाना मलिहाबाद:-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री सतीश चन्द्र साहू
2.उ0नि0 श्री सैय्याद हुसैन खाँ
3.उ0नि0 श्री अनिल गौतम
4.का0 सुशील कुमार

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-132

दिनांक- 15.01.2025

जोन- पश्चिमी/ थाना- बाजारखाला

"काशा होटल" में अवैध रूप से संचालित हुक्का बार पर कार्यवाही।

- **अवैध रूप से हुक्का बार का संचालन करने वाले 02 नफर कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया।**
- **होटल से अवैध रूप से संचालित 09 अदद हुक्का,04 अदद क्वाइल होल्डर ,04 अदद हुक्का फ्लेवर डिब्बे, 08 कॉल के डिब्बे बरामद ।**
- **थाना बाजारखाला पुलिस की कार्यवाही ।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 14.01.2025 को थाना बाजारखाला की पुलिस टीम के द्वारा गश्त के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि गुलजार नगर चौकी क्षेत्र के काशा होटल में नियम विरूध्द हुक्का का संचालन किया जा रहा है। इस सूचना पर मौके पर जाकर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग की गयी तो पाया गया कि उक्त होटल द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के क्रम में उक्त कैफे के प्रवेश द्वार पर 60×30 सेमी0 के न्यूनतम आकार का सफेद बोर्ड नही लगा था और न ही उक्त कैफे में धूम्रपान लोगो के स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है के सम्बन्ध में मानकों के अनुरूप बोर्ड नही लगा था तथा 18वर्ष से कम आयु के व्यक्ति का प्रवेश निषेध है, नही लिखा था तथा अवैध तरीके से कोटपा अधिनियम द्वारा जारी आदेश-निर्देशों का बिना पालन किए अवैध रूप से हुक्के का संचालन किया जा रहा था ।

मौके पर मौजूद होटल कर्मचारियों से उक्त के सम्बन्ध में पूछा गया तो कोई स्पष्ट जबाब नही दे पाये और न ही कोई हुक्का संचालित किये जाने से सम्बन्धित प्रपत्र/आदेश दिखा सके। इस क्रम में उक्त होटल के 02 नफर कर्मचारियों को जुर्म से अवगत कराते हुए धारा 13(क) कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 14.01.2025 को गिरफ्तार किया गया तथा बरामद हुक्के इत्यादि का नियमानुसार फर्द बरामदगी तैयार कर कब्जा पुलिस लिया गया । पकडे गये कर्मियों व बरामद माल के सम्बन्ध में नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-अपराध का तरीका/उद्देश्य-

"काशा होटल" में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना शासन व प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के उल्लंघन करते हुए तथा कोटपा अधिनियम द्वारा आदेश-निर्देशों का पालन किए बिना अवैध रूप से हुक्के का संचालन कर आर्थिक उगाही की जा रही थी ।

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. महेश यादव पुत्र भगवती प्रसाद यादव नि0- ग्राम कमरवां थाना मौरावां जनपद उन्नाव उम्र 30 वर्ष
2. अजय कन्नौजिया पुत्र हरदेव नि0- सराय पाण्डे थाना लोनी कटरा जनपद बाराबंकी उम्र 32 वर्ष

04-बरामदगी-

- 09 अदद हुक्का
- 04 अदद क्वाइल होल्डर
- 04 अदद हुक्का फ्लेवर खुले डिब्बे
- 08 कॉल के डिब्बे

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम थाना बाजारखाला-

1. उ0नि0 श्री दिलीप कुमार चौबे
2. उ0नि0 श्री आलोक श्रीवास्तव
3. उ0नि0 श्री शैलेष तिवारी
4. रि0उ0नि0 दीपांकर शर्मा
5. रि0उ0नि0 सुमित कुमार
6. रि0उ0नि0 विश्वजीत सिंह
7. रि0उ0नि0 आशुतोष कुमार मौर्या
8. म0हे0का0 मीनू यादव
9. का0 सुमित कुमार